FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **ओमप्रकाश गुप्ता** बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/15/2024 दायर दिनांक 02.02.2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 23 जी.बी. 2363 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी गोविन्दगढ़, जिला अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 336 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि मुक0 हाज में जप्तशुदा वाहन पिकअप फर्जी लगी प्लैट सं0 एच.आर. 74 ए 3789 के असल रजि0 नंबर आर.जे. 23 जी.बी. 2363 स्वामी श्री ओमप्रकाश गुप्ता को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर मुकामी पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राशि के जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 27.02.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर अलवर	

27/02/24

वकील वादी/प्रतिवादी उप०/हाजिर का कार्य स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली दिनांक 11/03 (पेश हो)।

[signature]

रीडर

05/03/24

वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस के सुप्रीमकोर्ट व माननीय न्यायालय पेश किये, जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये। S.D.O. गोविन्दगढ़ से वाहन रिपोर्ट हेतु अनुस्मारक जारी हो। पत्रावली बाद रिपोर्ट पेश हो।

[signature]

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)